कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल
(कृषि अनुसन्धान और शिक्षा विभाग)
कृषि अनुसन्धान भवन – 1, नई दिल्ली – 110012

AGRICULTURAL SCIENTISTS RECRUITMENT BOARD

(DEPARTMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH & EDUCATION)
KRISHI ANUSANDHAN BHAWAN-I, NEW DELHI-110012

F. No./ ASRB/ 9(1)/2023-Assessment Cell

Dated the 30th October, 2023

To

All the Directors of ICAR Institutes / Project Directorates / National Research Centres / Bureaux and ATARIs.

Subject.: Proposal for Assessment/Promotions of ARS Scientists under the revised CAS effective from 1.1.2009-reg.

Reference.: (I) ICAR letter No. 1(1)/2009-Per.IV dated March 6, 2009.
(II) ICAR letters No. 9(1)/2010-Per.IV dated 4th November, 2011, 12th December, 2011 and letter No. 9(1)/2012-Per.IV dated 25th April, 2012.
(III) ASRB letter No. 5(3)/2012-Assess.Cell dated 29th July, 2013.
(IV) ICAR letter No. 9(1)/2010-Per.IV dated 24-03-2021.

Sir/Madam,

The ASRB is going to take up the assessment cases under the Revised Career Advancement Scheme (CAS) for consideration of promotion from Sr. Scientist grade (RGP Rs. 9000) to Principal Scientist grade (RGP Rs. 10,000) in respect of such Sr. Scientists (RGP Rs. 9000/-) who have rendered 3 years of qualifying service in the grade of Sr. Scientist (RGP Rs. 9000) **up to 31-03-2023**. **Three copies of Assessment Proforma of only those Sr. Scientists who fulfil the eligibility criteria prescribed by ICAR** (duly filled in by the Sr. Scientist himself/herself and authenticated/verified by the Director of the Institute) **may be forwarded to the Secretary, ASRB latest by 30-11-2023**. Forwarding authority of the Institute must ensure the eligibility of the Senior Scientist(s) for assessment/promotion under CAS. The assessment proposal of the candidate who does not fulfil the eligibility criteria prescribed by the Council, may not be forwarded to the Board.

2. The proposals in respect of Sr. Scientists, who were considered earlier under the revised CAS for the relevant assessment period, but not recommended for promotion to the grade of Principal Scientist from the due date, will be considered for next evaluation as per the revised CAS after 2 years from the due date of promotion.

(Illustration: - Suppose, under the revised CAS, a Senior Scientist was considered to the grade of Principal Scientist for the period from 01-01-2016 to 31-12-2018 with the due date of promotion being 01-01-2019 but not recommended for promotion, the assessment proforma required to be submitted for next evaluation would relate to the period from 01-01-2018 to 31-12-2020 and his /her revised due date of promotion shall be 01-01-2021). Three copies of assessment proforma of such Sr. Scientists for the revised assessment period may also be forwarded to Secretary, ASRB **by 30-11-2023**.

3. **The Directors of the Institutes, while forwarding the assessment proforma of the Sr. Scientists with Certificate mentioned at para 1 and 2 above, may also certify the authenticity of the attributes on each page of the assessment proforma (S.No. 1 - S.No.11-B) indicating the genuineness of the attributes in terms of actual contributions made by the concerned scientist without any duplicacy of records. Further, against Col. no. 9 of the assessment proforma of the candidate, it may be certified/endorsed whether the candidate was placed in RGP Rs. 9000 through CAS Assessment Committee or lateral entry through ASRB.**

4. **The proforma uploaded/available on the ASRB website (www.asrb.org.in) may please be used for proposal.** Incomplete proposal and the proposals not in the prescribed format will be rejected and will not be considered during this spell of program for CAS.

5. As far as possible, the candidates/Sr. Scientists may furnish the information in the given space in the relevant assessment proforma only, rather than resorting to annexures. **The proposal received after the closing date i.e 30-11-2023 will not be considered during this spell of program at any cost.**

6. The mobile number/contact number/Email IDs of candidate as well as Director of the Institute may invariably be mentioned in the forwarding letter.

Yours faithfully

S. Tomar
30/10/2023
(Susheela Tomar)
Under Secretary (A.C.), ASRB

Copy to :

1. PPS to Secretary (DARE) & DG, ICAR for kind information
2. Joint Secretary (Pers.), ICAR, Krishi Bhawan, New Delhi for information.
3. Deputy Secretary (P-IV)/Assessment Unit, ICAR, Krishi Bhawan, New Delhi

कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल
(कृषि अनुसन्धान और शिक्षा विभाग)
कृषि अनुसन्धान भवन – 1, नई दिल्ली – 110012
AGRICULTURAL SCIENTISTS RECRUITMENT BOARD
(DEPARTMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH & EDUCATION)
KRISHI ANUSANDHAN BHAWAN-I, NEW DELHI-110012

फा.सं./कृ.वै.च.मं./9(1)/2023-मूल्यांकन प्रकोष्ठ

दिनांक : 30 अक्टूबर, 2023

सेवा में

भा.कृ.अनु.प. के समस्त संस्थानों/परियोजना निदेशालयों/राष्ट्रिय अनुसंधान केन्द्रों/ब्यूरों के निदेशक/परियोजना निदेशक तथा ए.टी.ए.आर.आई. के निदेशकगण ।

विषय: दिनांक 01-01-2009 से प्रभावी संशोधित कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के अंतर्गत कृषि अनुसंधान सेवा के वैज्ञानिकों के मूल्यांकन /पदोन्नति हेतु प्रस्ताव मंगाने के सम्बन्ध में ।

संदर्भ :- (i) भा.कृ.अनु.प. पत्र सं. 1(1)/2009-कार्मिक-IV दिनांक 6 मार्च, 2009
(ii) भा.कृ.अनु.प. पत्रों की सं. 9(1)/2010-कार्मिक-IV दिनांक 4 नवम्बर, 2011; 12 दिसम्बर, 2011 तथा पत्र सं. 9(1)/2012-कार्मिक-IV दिनांक 25 अप्रैल, 2012
(iii) कृ.वै.च.मं. पत्र सं. 5(3)/2012-मूल्यांकन कक्ष दिनांक 29 जुलाई, 2013

महोदय/महोदया,

संशोधित कैरियर एडवांसमेंट स्कीम (CAS) के अंतर्गत वरिष्ठ वैज्ञानिक ग्रेड से Research Grade Pay आरजीपी रू 9000 से प्रधान वैज्ञानिक ग्रेड (आरजीपी रू 10000) में पदोन्नति के लिए कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल (ASRB) उन वरिष्ठ वैज्ञानिकों के (आरजीपी रू 9000), जिन्होंने 31 मार्च, 2023 तक वरिष्ठ वैज्ञानिकों के ग्रेड में (आरजीपी रू 9000) तीन वर्षों की अर्हता सेवा (qualifying service) पूर्ण कर ली है, उन्हीं मूल्यांकनों पर विचार करेगा । केवल उन्हीं वरिष्ठ वैज्ञानिकों के मूल्यांकन प्रोफार्मा की तीन प्रतियां जो निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं (वरिष्ठ वैज्ञानिक द्वारा स्वयं भरा हुआ और संस्थान के निदेशक द्वारा प्रमाणित/सत्यापित) सचिव, कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल (ASRB) को अधिकतम समय दिनांक 30-11-2023 तक भेजा जा सकता है। संस्थान के अग्रेषण प्राधिकारी को संशोधित कैरियर एडवांसमेंट स्कीम (CAS) के तहत मूल्यांकन/पदोन्नति के लिए वरिष्ठ वैज्ञानिकों की पात्रता सुनिश्चित करनी चाहिए। उन अभ्यर्थियों के मूल्यांकन प्रस्ताव अग्रेषित नहीं किए जाने चाहिए जो परिषद द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं।

2. संशोधित कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत सम्बन्धित मूल्यांकन अवधि के प्रस्तावों का पूर्व में, जिन वरिष्ठ वैज्ञानिकों के मामलों पर विचार किये गए, परन्तु देय तिथि (due date) से प्रधान वैज्ञानिक ग्रेड पर पदोन्नति हेतु संस्तुतियां नहीं की गई, उनके संदर्भ में देय पदोन्नति तिथि से 2 वर्ष बाद संशोधित कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के अंतर्गत पुनर्मुल्यांकन किया जाएगा ।

(उदाहरणार्थ: यदि किसी वरिष्ठ वैज्ञानिक का प्रधान वैज्ञानिक ग्रेड पर देय तिथि 01-01-2019 से पदोन्नति हेतु सम्बन्धित मूल्यांकन अवधि 01-01-2016 से 31-12-2018 के लिए मूल्यांकन किया गया परन्तु पदोन्नति हेतु संस्तुतियां नहीं दी गई, उन वैज्ञानिकों की पुनर्मुल्यांकन अवधि 01-01-2018 से 31-12-2020 होगी और उनकी पदोन्नति की संशोधित देय तिथि 01-01-2021 होगी) । उक्त प्रकार के वरिष्ठ वैज्ञानिकों के संदर्भ में भी पुनर्मुल्यांकन हेतु मूल्यांकन प्रपत्र 3 प्रतियों में कृ.वै.च.मं. को 30-11-2023 तक प्रेषित कर दी जाए ।

अगले पृष्ठ पर पृ॰ 2/-

3. वरिष्ठ वैज्ञानिकों के मूल्यांकन प्रपत्र को उपर्युक्त पैरा 1 में उल्लिखित प्रमाण पत्र के साथ अग्रेषित करते समय संस्थानों के निदेशकगण मूल्यांकन प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर (क्रम सं. 1 से क्रम सं. 11 बी) विषयवस्तु को प्रमाणित करे जिससे सम्बन्धित वैज्ञानिक की विषयवस्तु की सत्यता, वास्तविक सत्यता, वास्तविक योगदान तथा दस्तावेजों के दोहरीकरण विना स्पष्ट हो । कृपया आवेदक के मूल्यांकन प्रस्ताव के कॉलम सं. 9 के सम्बन्ध में यह भी प्रमाणित /पृष्ठांकित करे कि उम्मीदवार को आरजीपी रू 9000 में कैरियर एडवांसमेंट स्कीम मूल्यांकन समिति के माध्यम से रखा गया या कृ.वै.च.मं. के पार्श्व पद्धति (Lateral Method) के माध्यम से ।

4. कृ.वै.च.मं. के वेबसाइट पर (www.asrb.org.in) अपलोड किया गया प्रपत्र या वेबसाइट पर उपलब्ध प्रपत्र का ही उपयोग किया जाना चाहिए । निर्धारित फॉर्मेट में न भेजे गए प्रस्ताव तथा अपूर्ण प्रस्ताव अस्वीकार कर दिए जाएँगे और इस CAS प्रोग्राम के दौरान उन पर विचार नहीं किया जाएगा ।

5. जहाँ तक संभव हो उम्मीदवार /वरिष्ठ वैज्ञानिक द्वारा सूचनाओं को सम्बन्धित प्रपत्र में दिए गए स्थान पर ही उल्लेख किया जाना चाहिए, न कि अनुलग्नकों पर निर्भर रहें । अंतिम तिथि 30-11-2023 के उपरान्त प्राप्त मूल्यांकन प्रस्ताव पर किसी भी परिस्थिति में इस CAS प्रोग्राम के दौरान विचार नहीं किया जाएगा ।

6. उम्मीदवार एवं संस्थान के निदेशक का मोबाइल नम्बर व E-mail Id अग्रेषित पत्र पर अवश्य लिखी जाए ताकि जरूरत के समय मंडल द्वारा उस से संपर्क किया जा सके ।

भवदीया

सु० तोमर
30/10/2023

(सुशीला तोमर)

अवर सचिव (मू.प्र.), कृ.वै.च.मं.

प्रति:

1. प्रधान निजी सचिव, सचिव (डेयर) एवं महानिदेशक (भा.कृ.अ.प.) - सूचनार्थ
2. संयुक्त सचिव (कार्मिक), भा.कृ.अ.प., कृषि भवन, नई दिल्ली - सूचनार्थ
2. अवर सचिव (कार्मिक-IV)/ निर्धारण एकक, भा.कृ.अ.प., कृषि भवन, नई दिल्ली - सूचनार्थ